आवेदन क्रमांक	आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर में 01 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2021–24

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन शहर में 01 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु द्वितीय ई–निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर के लिए साँची दुग्ध पदार्थ के विक्रय हेतु 1 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट विक्रय वृद्धि आधार पर नियुक्त करने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदक वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 17/09/2021 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 04/10/2021 दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे, साथ ही अमानत राशि रू. 1,00,000/– को ऑनलाईन जमा करना होगा। समस्त दस्तावेत अपलोड़ करने के साथ दिनांक 05/10/2021 अपरान्ह 01:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदाओं की तकनीकी अर्हताएं दिनांक 05/10/2021 अपरान्ह 03:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेगें। तकनीकी रुप से सफल निविदाकारों की वित्तीय दरें खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साईट www.sanchidairy.com पर लॉग ऑन करें।

किसी भी निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

<u>दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु</u>

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय एवं जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 17/09/2021 प्रातः 11:00 बजे से
2	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 04/10/2021 दोपहर 12:00 बजे तक
3	ई–निविदा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि व समय	05/10/2021 अपरान्ह 01:00 बजे तक
4	तकनीकी बिड ऑनलाईन तथा भौतिक रूप से खोलने की तिथि एवं समय	05/10/2021 अपरान्ह 03:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रूपये 1,00,000/– ऑनलाईन भुगतान करें।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/– (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप एवं निविदा की आवश्यक शर्तें।	प्रपत्र 01 एवं 02
9	उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा प्रपत्र।	प्रपत्र– 03
10	''कुल वार्षिक व्यापार राशि'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र– 04 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 05
12	दर संरचना का प्रारूप	प्रपत्र – 06

<u>निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''निविदा की शर्ते'' एवं प्रपत्र क्रमांक 02 ''तकनीकी अर्हताएं'', प्रपत्र क्रमांक 04'' अनुबंध की शर्ते'' तथा ऑनलाईन रूप से जमा ईएमडी राशि की रसीद (एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर **<u>उज्जैन शहर में 01 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु ई–निविदा</u>** लिखा जावें तथा प्रेषक के रूप में निविदाकार का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी लिखा जावे (प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना जरूरी है।)

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन) | सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस) | सहायक महाप्रबंधक (वित्त) | प्रभारी (क्रय) | प्रभारी (विपणन) | प्रभारी (गु.नि.)

- उक्त बंद लिफाफा कार्यालय में दिनांक 05/10/2021 को अपरान्ह 1:00 बजे तक जमा किया जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताओं'' का परीक्षण किया जावेगा। तकनीक रूप से सफल होने वाले निविदाकारों के निविदा शर्तों में चाहे गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। तकनीकी रूप से तथा निविदा शर्तों में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त कुल वार्षिक व्यापार राशि (वित्तीय बिड) खोली जाएगी।

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा ।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत की गई ई–निविदा मान्य नहीं किये जाएेंगे।

टिप्पणी :–

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड़ एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नही होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निधारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :–

   निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2021–2024 (3 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

शुद्धता का संकल्प

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 01

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

महोदय,

साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट के कार्य हेतु दिनांक ....को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हुं कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिए गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ई.एम.डी. राशि रू. 1,00,000/– (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) ऑनलाईन रूप से जमा की गई हैं, जिसकी स्लीप संलग्न है।

तकनीकी अहर्ताएं

क्र.	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	निविदाकार संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	निविदाकार का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है। वर्ष 2019–20 के GST का रिटर्न होना अनिवार्य है।		GST नम्बर की छायाप्रति एवं रिटर्न की पावती की छायाप्रति संलग्न करें।
6	साँची दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड चार पहिया वाहन मॉडल – 2017 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने की स्थिति में रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का		उपलब्ध वाहन के पंजीयन/अनुबंध की प्रति लगावें। या शपथ पत्र संलग्न करें।

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन) सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस) सहायक महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी (क्रय) प्रभारी (विपणन) प्रभारी (गु.नि.)

	वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी तथा अनुबंधित वाहन होने पर रू. 1000/– के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एवं संबंधित वाहन की पंजीयन प्रमाण पत्र)		
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9	वितरक या होलसेलर का FSSAI का वैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
10	विगत तीन वर्षों में कुल न्यूनतम टर्नओवर रू. 6 करोड़ अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।		सीए द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11	ऑनलाईन जमा ई.एम.डी. राशि रू. 1,00,000/– की स्लीप संलग्न करना अनिवार्य है।		ऑनलाईन स्लीप संलग्न करें।
12	निविदा पत्र के मूल्य की आनलाईन जमा की स्लीप संलग्न करना अनिवार्य है।		ऑनलाईन स्लीप संलग्न करें।
13	निविदाकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
14	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत् का रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
15	निविदाकार के विरूद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।
16	दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव होना अनिवार्य है।		संबंधित संस्था के कार्यादेश की छायाप्रति।

नोटः–

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक–पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा ई–निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर जो भी कार्यवाही की जावेगी वो मुझे मान्य होगी तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ....

नाम––––––––––––––––––

पता––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––

दूरभाष नम्बर ––––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर ––––––––––––––––––

शुद्धता का संकल्प

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

(सामान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य के लिए निविदा हेतु आवश्यक शर्ते

1. निविदाकार को निविदा के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। निविदाकार का दुग्ध पदार्थ विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र/अनुभव **उज्जैन जिला** होना अनिवार्य है। उज्जैन जिले के बाहर कार्यरत निविदाकारों के निविदा स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।
2. निविदाकार निर्धारित दिनांक व समय पर समिति के समक्ष प्रिबिड मीटिंग मे उपस्थित हो सकते है।
3. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 1,00,000/– (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) आर्नेस्टमनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
4. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में निविदा स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रूपये 10 लाख जमा करना होगी, जिस पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. विगत तीन वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–2020 में कुल न्यूनतम 6 करोड़ रूपये का टर्न ओव्हर होना आवश्यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसशीट संलग्न करना होगी।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु चार पहिया वाहन (इंसुलेटेड 4 इंच पफ का होना चाहिए,) मॉडल 2017 या उसके बाद का वाहन क्षमता 2 टन का होना अनिवार्य होगा।
7. समय–समय पर पफ इंसुलेशन की स्थिति जानने हेतु संघ स्तर से एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थो का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापित करेंगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
8. इंसूलेटेड वाहन में जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा, जिसे दुग्ध संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय एवं वार्षिक Subcription Charges को तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इंसुलेटेड वाहन पर स्वयं के व्यय से विनाईल फ्लेक्स साँची विज्ञापन लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की होगी।
10. निविदाकार निविदा में दिये गये वार्षिक विक्रय राशि के आधार पर (प्रपत्र क्रमांक 03 में) कितनी अधिक राशि का कुल व्यापार एक वर्ष में दुग्ध संघ को देगा वह कुल व्यापार राशि निविदाकार को ऑनलाईन रूप से प्रस्तुत करना होगी। भौतिक रूप से प्रस्तुत कुल व्यापार राशि को मान्य नहीं किया जावेगा।
11. तकनीकी एवं निविदा शर्तो में सफल निविदाकारों की ऑनलाईन रूप से प्रस्तुत कुल व्यापार राशि खोली जावेगी। अधिकतम प्रस्तुत कुल व्यापार राशि वाले निविदाकार का चयन उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु किया जावेगा। यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान कुल व्यापार राशि प्रस्तुत की जाती है तो तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबधंक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबधंक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

12. प्रपत्र क्रमांक 03 में कुल वार्षिक विक्रय राशि के लक्ष्य दिये गये है। सुपर स्टॉकिस्ट को चयन उपरांत प्रस्तुत अधिकत कुल व्यापार राशि का विक्रय करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित पेनाल्टी जमा करना होगी।
13. वचनबद्धता अनुसार विक्रय अर्जित नहीं करने पर जितनी राशि का कम विक्रय होगा, उतनी राशि के दुग्ध पदार्थ विक्रय पर दुग्ध संघ को जितनी राशि का लाभ प्राप्त होता उस राशि का 10 प्रतिशत धनराशि बतौर पेनाल्टी सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी। यदि पेनाल्टी राशि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ में जमा नहीं की जाती है तब यह राशि सुपर स्टॉकिस्ट की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि से कटोत्रा की जावेगी।
14. सुपर स्टॉकिस्ट के लक्ष्यों की समीक्षा प्रत्येक छः माह में की जावेगी, कार्य सन्तोषप्रद एवं लक्ष्यों की पूर्ति न करने पर कार्य आवंटन समाप्त कर दिया जावेगा। यदि किसी माह में विक्रय कम या अधिक अर्जित होता है तो वर्ष के अन्त में समेकित रूप से वार्षिक आधार पर गणना कर लक्ष्य के विरूद्ध गणना की जावेगी।
15. अनुबंध पश्चात प्रत्येक वर्ष विक्रय राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य निर्धारित होंगे।
16. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।

17. यह निविदा केवल उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ वितरण के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु है। इसमें सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा साँची दूध एवं घी का विक्रय शामिल नहीं है।

18. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले दुग्ध उत्पाद की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही निविदा प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।

19. सुपर स्टॉकिस्ट को सॉची दुग्ध पदार्थ प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।

20. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को 03 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक–एक वर्ष की 02 वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

21. दुग्ध संघ से सीधे दुग्ध पदार्थ प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/ उपभोक्ताओं/संस्थाओं को प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

22. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण उज्जैन शहर में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

23. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 2 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण उज्जैन शहर हेतु रखना होगा, जिनकी जानकारी उज्जैन दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी।

24. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।

25. सुपर स्टॉकिस्ट उज्जैन शहर में अपने स्तर पर दुग्ध पदार्थ वितरक नियुक्त कर सकता है, जिसकी जानकारी उसे उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में देना होगी। परन्तु वचतबद्धता अनुसार दिये गये वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की ही होगी।

26. किसी भी निविदा को सकारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

27. प्राप्त निविदाओं की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

28. निविदा स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

29. वर्तमान में जिन पार्टीयों के विरूद्ध दुग्ध संघ का किसी भी प्रकार का विवाद/प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो ऐसी पार्टी निविदा करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसी पार्टीयों द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा।

30. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाना हो तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान ठेके से सबंधित समस्त लेनदारी–देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट (अथवा क्रेट की धनराशि) दुग्ध संघ में जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी।

31. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते है तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

32. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस आशय का

आवेदक को रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार ओवदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

33. आवेदक को निविदा के साथ इस आशय का पृथक रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

34. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरूद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

35. यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान अधिकतम कुल वार्षिक व्यापार राशि प्रस्तुत की जाती है तो एक समान अधिकतम कुल वार्षिक राशि प्रस्तुत करने वाले समस्त निविदाकारों में से कार्यावंटन हेतु चयन गठित समिति के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुॅ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 35 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरा निविदा/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

चयन प्रक्रिया –

– साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु माहवार (विक्रय राशि) लक्ष्य निम्नानुसार है :–

माह	प्रतिमाह लक्ष्य रूपये में
अप्रैल	7711873
मई	8251669
जून	5842771
जुलाई	3150136
अगस्त	2469111
सितम्बर	2155429
अक्टूबर	3826632
नवम्बर	2840160
दिसम्बर	1987617
जनवरी	2107387
फरवरी	3265744
मार्च	2797877
TOTAL	46406406

– उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उपरोक्त तालिका अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट हेतु वार्षिक (दूध एवं घी को छोड़कर) विक्रय राशि लक्ष्य निर्धारित किये गये है। निविदाकार को निविदा में उपरोक्त वार्षिक कुल व्यापार राशि से अधिक कुल वार्षिक व्यापार राशि प्रस्तुत करना होगा।

– अधिकतम कुल व्यापार राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार का चयन सुपर स्टॉकिस्ट के रूप में किया जावेगा।

– यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान कुल व्यापार राशि प्रस्तुत की जाती है तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

– अनुबंध पश्चात प्रत्येक वर्ष विक्रय राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य निर्धारित होंगे।

– वचनबद्धता अनुसार विक्रय अर्जित नहीं करने पर जितनी राशि का कम विक्रय होगा, उतनी राशि के दुग्ध पदार्थ विक्रय पर दुग्ध संघ को जितनी राशि का लाभ प्राप्त होता है, उस राशि का 10 प्रतिशत बतौर पेनल्टी सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी। यदि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा पेनाल्टी जमा नहीं की जाती है तब पेनाल्टी का कटोत्रा सुपर स्टॉकिस्ट की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि से किया जावेगा।

– यदि किसी माह में विक्रय कम या अधिक अर्जित होता है तो इसको समेकित रूप से वार्षिक आधार पर गणना कर लक्ष्य के विरूद्ध गणना की जावेगी।

मैं उपरोक्त वचनबद्धता अनुसार विक्रय करने हेतु बाध्य रहुंगा/रहुंगी। यदि प्रस्तुत वचनबद्धता अनुसार विक्रय नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ पेनाल्टी की राशि मेरी जमा प्रतिभूति राशि या अन्य तरह से वसूल करता है तो इसके लिए मैं पूर्णतः सहमत हूं।

हस्ताक्षर ....
नाम————————————
पता————————————

उज्जैन शहर में 01 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा प्रपत्र

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) – ....
   दूरभाष नं. /मोबाईल नं. – ....
   E-mail-id - ....
4. शैक्षणिक योग्यता – ....
5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकरी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। – ....
6. वर्तमान व्यवसाय – ....
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर (टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ....
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – ....
   (अ) चल अचल संम्पति का ब्योरा – ....
   (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि – ....
   (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)
9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवश्यक – ....
   पूँजी की व्यवस्था – ....
10. जी.एस.टी. नम्बर – ....

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

11.	वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा अनुबंधित वाहन होना आवश्यक) वाहन के पंजीयन/अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करें।	–	....
		–	....
		–	....
12.	भण्डारण हेतु	–	....
	वर्तमान क्षमता/व्यवस्था	–	....
13.	धरोहर/ई.एम.डी. राशि	–	रू...
	डी.डी./एम.आर.नं	–	....

दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

....

....

....

....

Sanchi
शुद्धता का संकल्प

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

प्रपत्र क्रमांक –05

साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु भाव पत्र
(केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु)
(उज्जैन शहर हेतु)

1. निविदा में साँची दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु न्यूनतम वार्षिक राशि की वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूॅ। (केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई कुल व्यापार राशि ही मान्य की जावेगी।)

क्र.	विवरण	वार्षिक कुल व्यापार राशि	
		अंको में	शब्दों में
1	साँची दुग्ध पदार्थ हेतु वार्षिक विक्रय राशि रू.		

नोट :–यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान अधिकतम वार्षिक विक्रय राशि प्रस्तुत की जाती है तो चयन गठित समिति के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

2. अनुबंध पश्चात प्रत्येक वर्ष विक्रय राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य निर्धारित होंगे।

3. वचनबद्धता अनुसार विक्रय अर्जित नहीं करने पर जितनी राशि का कम विक्रय होगा, उतनी राशि के दुग्ध पदार्थ विक्रय पर दुग्ध संघ को जितनी राशि का लाभ प्राप्त होता है, उस राशि का 10 प्रतिशत बतौर पेनल्टी सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी। यदि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा पेनाल्टी जमा नहीं की जाती है तब पेनाल्टी का कटोत्रा सुपर स्टॉकिस्ट की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि से किया जावेगा।

4. यदि किसी माह में विक्रय कम या अधिक अर्जित होता है तो इसको समेकित रूप से वार्षिक आधार पर गणना कर लक्ष्य के विरूद्ध गणना की जावेगी।

5. मैं उपरोक्त वचनबद्धता अनुसार विक्रय करने हेतु बाध्य रहुंगा/रहुंगी। यदि प्रस्तुत वचनबद्धता अनुसार विक्रय नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ पेनाल्टी की राशि मेरी जमा प्रतिभूति राशि या अन्य तरह से वसूल करता है तो इसके लिए मैं पूर्णतः सहमत हूं।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता

पता—————————————————————
———————————————————
———————————————————

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन) | सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस) | सहायक महाप्रबंधक (वित्त) | प्रभारी (क्रय) | प्रभारी (विपणन) | प्रभारी (गु.नि.)

<u>प्रपत्र क्रमांक – 06</u>
<u>(अनुबंध शर्तों का प्रारूप)</u>

<u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जाता हैं :–

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दुग्ध पदार्थ वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण उज्जैन शहर के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष की अवधि जो कि दिनांक ... . से दिनांक ....तक प्रभावशील है सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक–एक वर्ष के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि रू................. एमआर क्रमांक.................... दिनांक ....से जमा की गई हैं, जमा की गई प्रतिभूति राशि पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को उनकी जमा प्रतिभूति राशि के विरूद्ध कोई भी प्रदायगी नहीं की जावेगी। समस्त प्रदायगी अग्रिम भुगतान पर ही की जावेगी।

4. समय–समय पर पफ इंसुलेशन की स्थिति जानने हेतु संघ स्तर से एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थो का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापित करेंगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

5. इंसूलेटेड वाहन में जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा, जिसे दुग्ध संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय एवं वार्षिक Subcription Charges को तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।

6. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इंसुलेटेड वाहन पर स्वयं के व्यय से विनाईल फ्लेक्स साँची विज्ञापन लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की होगी।

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबधंक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबधंक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

7. निविदा की शर्त अनुसार कुल वार्षिक विक्रय राशि के लक्ष्य दिये गये है। सुपर स्टॉकिस्ट को निविदा में प्रस्तुत अधिकत कुल व्यापार राशि का विक्रय करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित पेनाल्टी जमा करना होगी।

8. वचनबद्धता अनुसार विक्रय अर्जित नहीं करने पर जितनी राशि का कम विक्रय होगा, उतनी राशि के दुग्ध पदार्थ विक्रय पर दुग्ध संघ को जितनी राशि का लाभ प्राप्त होता उस राशि का 10 प्रतिशत धनराशि बतौर पेनाल्टी सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी। यदि पेनाल्टी राशि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ में जमा नहीं की जाती है तब यह राशि सुपर स्टॉकिस्ट की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि से कटोत्रा की जावेगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट के लक्ष्यों की समीक्षा प्रत्येक छः माह में की जावेगी, कार्य सन्तोषप्रद एवं लक्ष्यों की पूर्ति न करने पर कार्य आवंटन समाप्त कर दिया जावेगा। यदि किसी माह में विक्रय कम या अधिक अर्जित होता है तो वर्ष के अन्त में समेकित रूप से वार्षिक आधार पर गणना कर लक्ष्य के विरूद्ध गणना की जावेगी।

10. अनुबंध पश्चात प्रत्येक वर्ष विक्रय राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर लक्ष्य निर्धारित होंगे।

11. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।

12. यह निविदा केवल उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ वितरण के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु है। इसमें सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा साँची दूध एवं घी का विक्रय शामिल नहीं है।

13. दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार साँची दुग्ध पदार्थ का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी पैंकिंग/ईकाई/केस/कर्टन में (साँची दुग्ध पदार्थ) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ला साँची दुग्ध पदार्थ का प्रदाय नहीं कर सकेंगे।

14. सुपर स्टॉकिस्ट उज्जैन शहर में अपने स्तर पर दुग्ध पदार्थ वितरक नियुक्त कर सकता है, जिसकी जानकारी उसे उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में देना होगी। परन्तु वचतबद्धता अनुसार दिये गये वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की ही होगी।

15. यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध पदार्थ की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरकं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल अपने साधन से दुग्ध पदार्थ की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है तो उसी दिन

से प्रथम पक्ष द्वितिय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।

16. यह कि सुपर स्टॉकिस्ट वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत करेगें। सुपर स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा।

17. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट कार्य को आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।

18. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।

19. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ से उठायी गई साँची दुग्ध पदार्थ मात्रा का लेखा–जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।

20. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग प्रतिदिन दुग्ध संघ को डेयरी डॉक पर लिखित में देना होगी एवं सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा लागू कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कार्य करना अनिवार्य होगा।

21. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट दुग्ध पदार्थ प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैंकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।

22. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची दुग्ध पदार्थ पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।

23. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

शास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

24. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित दुग्ध पदार्थ के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद ईकाई (दुग्ध पदार्थ) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला दुग्ध पदार्थ नही देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।

25. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध पदार्थ का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सॉची दुग्ध पदार्थ प्रदाय नहीं कर सकेगा।

26. यह कि द्वितीय पक्ष ''साँची दुग्ध पदार्थ'' के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त है, अतः छोटे–छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससें सॉची ब्राण्ड दुग्ध पदार्थ के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।

27. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।

28. यह कि उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

29. यह कि उपरोक्त शर्तों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध को हिस्सा माने जाएंगे।

30. सुपर स्टॉकिस्ट प्रतिमाह समस्त वितरकों को 10 तारिख तक उनके द्वारा विक्रय की गई दुग्ध पदार्थ की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।

31. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन एमपीसीडीएफ का प्रतिनिधि एवं आयुक्त पंजीयन सहकारिता संस्थाएं मध्यप्रदेश शासन के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

32. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।

33. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित दुग्ध पदार्थ की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।

34. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या माल आदि में दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/माल में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से सीधे क्रय करना चाहते है तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।

35. टंकण त्रृटि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होंश–हवांस में उज्जैन सहाकरी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन – 456010	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) सुपर स्टॉकिस्ट (दुग्ध पदार्थ) नाम... पता ....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1	हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम :	नाम :..
पताः..	पताः ....

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

क्रमांक – 06

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन दुग्ध संघ के समस्त कार्यक्षेत्र के समस्त वितरक/विक्रेता/उपभोक्ता हेतु साँची दुग्ध उत्पादों की वर्तमान दर संरचना :–

साँची दुग्ध उत्पाद –											
विवरण	पैकिंग	सुपर स्टाकिस्ट दर	दुग्ध समिति/ वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर	विवरण	पैकिंग	सुपर स्टाकिस्ट दर	दुग्ध समिति/ वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
श्रीखण्ड	100 ग्राम	19.00	19.50	21.00	25.00	मावा	500 ग्राम	139.68	142.11	147.39	160.00
आम्रखण्ड	400 ग्राम	91.50	94.00	100.00	120.00	ठण्डाई	200 एम.एल.	19.00	19.50	21.00	25.00
	80 ग्राम	19.00	19.50	21.00	25.00	गुलाब जामुन	1 कि.ग्रा.	166.33	171.00	180.50	200.00
मीठा दूध पैकेट	200 एम.एल.	10.00	10.50	11.50	15.00		500 ग्राम	89.00	91.00	95.00	110.00
स्टे. फ्लेवर्ड मिल्क बॉटल	200 एम.एल.	19.00	19.50	21.00	25.00	काजू कतली	200 ग्राम	109.22	111.40	115.90	125.00
गोल्डन मिल्क बॉटल	200 एम.एल.	24.00	24.50	26.00	30.00	रसगुल्ला	1 कि.ग्रा.	138.44	142.90	151.70	170.00
नमकीन मठ्ठा	200 एम.एल.	6.50	7.00	8.00	10.00		500 ग्राम	74.00	76.00	80.00	90.00
सादा मठ्ठा	500 एम.एल.	9.25	9.75	10.50	12.00	मिल्ककेक	40 gm(2 नग)	13.60	13.69	15.80	20.00
लस्सी	200 एम.एल.	19.00	19.50	21.00	25.00		250 ग्राम	73.00	75.00	80.00	90.00
पनीर	250 ग्राम	66.42	67.63	69.74	75.00		500 ग्राम	141.00	144.00	152.00	170.00
	5 कि.ग्रा.	1341.51	1365.71	1397.42	1450.00		1 किलोग्राम	269.00	274.00	288.00	320.00
दही	100 ग्राम	7.20	7.50	8.00	10.00	साँची पेड़ा	250 ग्राम	73.00	75.00	80.00	90.00
	500 ग्राम	25.00	25.50	26.50	30.00		500 ग्राम	141.00	144.00	152.00	170.00
छेना रबड़ी	100 ग्राम	22.00	23.00	25.00	30.00		1 किलोग्राम	269.00	274.00	288.00	320.00
नारियल बर्फी	250 ग्राम	84.00	86.00	90.00	100.00		35gm(2 नग)	12.00	12.25	13.00	15.00
साँची कॉफी प्रिमिक्स	01 कि.ग्रा.	348.10	366.67	380.44	400.00	टेबल बटर	100 ग्राम	43.80	45.00	47.00	52.00
	20 ग्राम	8.00	8.60	9.00	10.00		500 ग्राम	214.00	219.00	227.00	250.00
साँची पेडा प्रसादी	120 ग्राम	39.00	40.27	42.96	51.00	साँची कॉम्बों पैक (मिल्क केक एवं पेड़ा)	500 ग्राम	123.17	127.58	136.62	155.00
	240 ग्राम	77.00	79.62	84.96	101.00	साँची गिफ्ट पैक (मिल्क केक, पेड़ा एवं नारियल बर्फी)	1 किलोग्राम	280.00	290.00	310.00	350.00
साँची कुकिंग बटर	500 ग्राम	165.17	165.69	170.52	185.00						

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबधंक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबधंक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	–	....
पिता	–	....
आयु	–	....
निवासी	–	....

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु निविदा प्रपत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

<u>**सत्यापन**</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबधंक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबधंक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर हेतु 01 दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट निविदा प्रक्रिया में मेरे द्वारा निविदा किया गया है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होता है तो मैं निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार नवीन अथवा मॉडल 2017 या उसके बाद का इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शुद्धता का संकल्प

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन) सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस) सहायक महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी (क्रय) प्रभारी (विपणन) प्रभारी (गु.नि.)

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर हेतु 01 दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट निविदा प्रक्रिया में मेरे द्वारा निविदा किया गया है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)

किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने संबंधि शपथ पत्र का प्रारूप

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– उज्जैन शहर हेतु 01 साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट निविदा प्रक्रिया में मेरे द्वारा निविदा किया गया है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....

महाप्रबंधक (संयत्र संचालन)	सहायक महाप्रबधंक (एमआईएस)	सहायक महाप्रबधंक (वित्त)	प्रभारी (क्रय)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (गु.नि.)